न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 04 / 2020

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
बाबूराम पुत्र रामचन्द्र जाति विश्नोई, निवासी भडकुंआ(हरियाली) तहसील सांचौर जिला जालोर (राजस्थान)		1. हरिराम पुत्र जोधाराम, जाति विश्नोई, निवासी भडकुंआ(हरियाली) तहसील सांचौर, जिला जालोर(राजस्थान) 2. व्यवस्थापक एस.बी.बी.जे. शाखा सांचौर 3. सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :-

1. श्री त्रिलोक चंद मेहता, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री पारसमल बराडा, रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 02 बावजूद सूचना अनुपस्थित।
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 04 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

-: निर्णय :-

दिनांक : 19/1/21

1. अपीलाण्ट की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट के प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर सांचौर द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 11/2016 बउनवान हरिराम बनाम बाबूराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 24.12.2019 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

2. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी आराजी मौजा हरियाली के खसरा नंबर 1308 जिसमे कुंआ भी है से खसरा

राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

नंबर 35, 37 में जाने हेतु अपीलांट की खातेदारी आराजी में खसरा नंबर 138 में से रास्ता दिलाने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट को नोटिस प्राप्त होने के पश्चात अपीलांट द्वारा न्यायालय में स्पष्ट किया है कि मौजा हरियाली में स्थित खसरा नंबर 1308 के लगते हुए नहर आई हुई है जो नहर घुमाव लेकर खसरा नंबर 39 के पास से निकलती है तथा नहर के पास रास्ता होता है। नहर के लिये रखी गई जमीन 40 मीटर होती है तथा नहर की चौडाई 15 से 20 फीट तक अधिकतम होती है जिससे खेदी गई जमीन के पास काफी ज़मीन रासते के रूप में में रखी जाती है एवं यही नहर मौजा भडकुंआ में स्थित खसरा नंबर 35, 37 तक जाने के लिये नहर का रास्ता उपलब्ध है एवं मौजा भडकुंआ में स्थित खसरा नंबर के 35 व 37 के लगते दोनो तरफ रास्ते स्थित है ऐसी स्थिति मे रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के खेत में पहुंचने का रास्ता पूर्व से ही मौजूद है।

3. अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी द्वारा बनाई मौका रिपोर्ट को यथावत मानकर जैर अपील आदेश पारित किया है, जबकि कानूनन तहसीलदार को मौका रिपोर्ट बनाना आवश्यक है। पटवारी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का मुख्य आधार यह था कि नहर के पास स्थित (भूमि) असमतल है, जिससे आवागमन संभव नहीं है। जो कि माने जाने योग्य नहीं है। यदि छोटा मोटा धोरा पानी के बहाव के कारण बन भी गया है तो उसे सही किया जा सकता है। मौका रिपोर्ट में पटवारी द्वारा प्रस्तावित रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है। पटवारी रिपोर्ट में दर्शित रास्ता व रेस्पोडेन्ट नंबर 01 के द्वारा मांग किये स्थान पर मौके पर ढाणी बनी हुई है जिसमे अपीलांट का रहवास है। किन्तु अपीलांट के रहवास स्थान से रेस्पोडेन्ट संख्या 01 सरकारी कर्मचारियो से मिलीभगत वैकल्पिक रास्ता मौजूद होने के बावजूद रास्ता निकालने पर आमादा है।

4. अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जैर अपील आदेश से पूर्व मौके पर उपस्थित लोगो से पूछताछ नहीं की, न ही बयान लिये तथा मौका हालात को स्पष्ट तक नहीं किया। केवल मात्र पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर बिना साक्ष्य सबूत लिये जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावे।

5. वकील रेस्पोडेन्ट ने अपील में वर्णित तथ्यो को प्रत्युत्तर देते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी आराजी मौजा हरियाली के खसरा नंबर 1308 जिसमे कुंआ भी है से खसरा नंबर 35, 37 में जाने हेतु अपीलांट की खातेदारी आराजी में खसरा नंबर 138 में से रास्ता दिलाने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

6. अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांट यानि अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाने का आदेश प्रदान किया गया एवं साथ ही वादग्रस्त आराजी पर पाईप लाईन बिछाने की अनुमति हेतु मौका रिपोर्ट तलब किये जाने का आदेश पारित किया जाकर प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 15.11.2016 नियत की गई। उसके पश्चात p.o साहब राजकीय कार्यो एवं अन्य कार्यो में व्यस्त होने की आदेशिका अंकन करते हुए पत्रावली में आगामी पेशी नियत होती रही। उसके पश्चात दिनांक 07.12.2017 को दोनो पक्षो के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर यह निवेदन किया कि पत्रावली रास्ता उपलब्ध करवाने से संबधित है जबकि आदेशिका दिनांक 20.10.2016 के अन्तर्गत भूमिगत पाईप लाईन बिछाने का अंकन हो गया है। अत उक्त त्रुटि को सुधार कर प्रकरण में रास्ते के संबध में तहसीलदार सांचौर से मौका रिपोर्ट मंगवाई जावे। उक्त निवेदन पर तहसीलदार सांचौर से मौका रिपोर्ट तलब किये जाने का आदेश पारित किया गया। उसके पश्चात पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 22.12.2017 नियत की गई। उसके पश्चात दिनांक 22.12.2017 को पीठासीन अधिकारी नगर पालिका चुनाव में व्यस्त होने का अंकन आदेशिका में करते हुए आगामी पेशी दिनांक 08.01.2018 नियत की गई। उसके पश्चात दिनांक 08.01.2018 को तहसीलदार सांचौर से मौका रिपोर्ट प्राप्त होने का अंकन करते हुए उक्त मौका रिपोर्ट शामिल मिसल की गई एवं आगामी पेशी दिनांक 15.01.2018 नियत की गई। उसके पश्चात पत्रावली में निरन्तर पेशियां नियत की गई। उसके पश्चात दिनांक 15.03.2018 को अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया एवं पत्रावली मे आगामी पेशी दिनांक 21.03.2018 नियत की गई। उसके पश्चात दिनांक 21.03.2018 को पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण के अंतिम निस्तारण से पूर्व स्वंय मौका देखना उचित समझते हुए दिनांक 22.03.2018 को 10 बजे मौका देखने बाबत आदेशिका में अंकन कर पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 26.03.2018 नियत की गई। उसके पश्चात आगामी पेशी तक पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण होने के कारण पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 12.07.2018 नियत की गई। उसके पश्चात p.o साहब राजकीय कार्यो एवं अन्य कार्यो में व्यस्त होने की आदेशिका अंकन करते हुए पत्रावली में आगामी पेशी नियत होती रही। उसके पश्चात आदेशिका दिनांक 10.06.2019 को वादग्रस्त आराजी के संबध में मौका जांच तलब कर आगामी पेशी दिनांक 17.06.2019 नियत की गई। उक्त मौका जांच के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15.11.2019 को आदेश पारित कर रास्ते की भूमि का मूल स्वरूप परिवर्तित न करने हेतु थानाधिकारी को कार्यवाही करने का आदेश पारित कर प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 04.12.2019 नियत की गई। उसके पश्चात पेशी दिनांक 04.12.2019 को अप्रार्थीगण यानि अपीलांट बाबूराम द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मौका देखने हेतु निवेदन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षो की सुनवाई कर प्रकरण में दो बार तहसीलदार सांचौर द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबध में मौका रिपोर्ट भिजवाने का हवाला देते हुए बाबूराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज करने का आदेश पारित किया गया एवं पत्रावली वास्ते अंतिम बहस हेतु आगामी पेशी दिनांक 11.12.2019 नियत की गई। उसके पश्चात पत्रावली में अंतिम बहस हेतु आगामी पेशी दिनांक 17.12.2019 नियत की गई। उसके पश्चात दिनांक 17.12.2019 से आगामी पेशी दिनांक 18.12.2019 नियत की गई। उसके पश्चात आगामी पेशी दिनांक 18.12.2019 को उभयपक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी जाकर प्रकरण में वास्ते आदेश दिनांक 24.12.2019 नियत की गई। उसके पश्चात दिनांक 24.12.2019 को प्रस्तुत मौका रिर्पोटो का अवलोकन करने के पश्चात धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 हरिराम के खेत मे आने–जाने हेतु उक्त रास्ते के अतिरिक्त कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रकरण में समस्त विवाद आसूराम पुत्र धुकलाराम जाति विश्नोई निवासी हरियाली तहसील सांचौर जिला जालोर द्वारा करवाया गया है। अत उक्त व्यक्ति के विरूद्ध जो कि समाज विरोधी है जो कि समाज एवं गांव में अशांति पैदा कर रहा है एवं जबरन ग्रामीणो को अपने निहित स्वार्थो की पूर्ति हेतु मुकदमेबाजी में धकेल रहा है। अत इसके विरूद्ध निरोधात्मक धाराओ एवं अन्य प्रभावी कानूनी धाराओ के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही करवाया जाना अत्यन्त आवश्यक है, जिससे ग्रामीणो में शांति एवं अमन चेन कायम हो सके। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यो को ध्यान मे रखते हुए धारा 251 ए की मंशा को मद्देनजर रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत है। अत अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

7. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी आराजी मौजा हरियाली के खसरा नंबर 1308 जिसमे कुंआ भी है से खसरा नंबर 35, 37 में जाने हेतु अपीलांट की खातेदारी आराजी में खसरा नंबर 138 में से रास्ता दिलाने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांट यानि अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाने का आदेश प्रदान किया गया एवं साथ ही वादग्रस्त आराजी पर पाईप लाईन बिछाने की अनुमति हेतु मौका रिपोर्ट तलब किये जाने का आदेश

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

पारित किया जाकर प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 15.11.2016 नियत की गई। उसके पश्चात p.o साहब राजकीय कार्यो एवं अन्य कार्यो में व्यस्त होने की आदेशिका अंकन करते हुए पत्रावली में आगामी पेशी नियत होती रही। उसके पश्चात दिनांक 07.12.2017 को दोनो पक्षो के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर यह निवेदन किया कि पत्रावली रास्ता उपलब्ध करवाने से संबधित है जबकि आदेशिका दिनांक 20.10.2016 के अन्तर्गत भूमिगत पाईप लाईन बिछाने का अंकन हो गया है। अत उक्त त्रुटि को सुधार कर प्रकरण में रास्ते के संबध में तहसीलदार सांचौर से मौका रिपोर्ट मंगवाई जावे। उक्त निवेदन पर तहसीलदार सांचौर से मौका रिपोर्ट तलब किये जाने का आदेश पारित किया गया। उसके पश्चात पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 22.12.2017 नियत की गई। उसके पश्चात दिनांक 22.12.2017 को पीठासीन अधिकारी नगर पालिका चुनाव में व्यस्त होने का अंकन आदेशिका में करते हुए आगामी पेशी दिनांक 08.01.2018 नियत की गई। उसके पश्चात दिनांक 08.01.2018 को तहसीलदार सांचौर से मौका रिपोर्ट प्राप्त होने का अंकन करते हुए उक्त मौका रिपोर्ट शामिल मिसल की गई एवं आगामी पेशी दिनांक 15.01.2018 नियत की गई। उसके पश्चात पत्रावली में निरन्तर पेशियां नियत की गई। उसके पश्चात दिनांक 15.03.2018 को अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया एवं पत्रावली मे आगामी पेशी दिनांक 21.03.2018 नियत की गई। उसके पश्चात दिनांक 21.03.2018 को पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण के अंतिम निस्तारण से पूर्व स्वंय मौका देखना उचित समझते हुए दिनांक 22.03.2018 को 10 बजे मौका देखने बाबत आदेशिका में अंकन कर पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 26.03.2018 नियत की गई। उसके पश्चात आगामी पेशी तक पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण होने के कारण पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 12.07.2018 नियत की गई। उसके पश्चात p.o साहब राजकीय कार्यो एवं अन्य कार्यो में व्यस्त होने की आदेशिका अंकन करते हुए पत्रावली में आगामी पेशी नियत होती रही। उसके पश्चात आदेशिका दिनांक 10.06.2019 को वादग्रस्त आराजी के संबध में मौका जांच तलब कर आगामी पेशी दिनांक 17.06.2019 नियत की गई। उक्त मौका जांच के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15.11.2019 को आदेश पारित कर रास्ते की भूमि का मूल स्वरूप परिवर्तित न करने हेतु थानाधिकारी को कार्यवाही करने का आदेश पारित कर प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 04.12.2019 नियत की गई। उसके पश्चात पेशी दिनांक 04.12.2019 को अप्रार्थीगण यानि अपीलांट बाबूराम द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मौका देखने हेतु निवेदन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षो की सुनवाई कर प्रकरण में दो बार तहसीलदार सांचौर द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबध में मौका रिपोर्ट भिजवाने का हवाला देते हुए बाबूराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज करने का आदेश पारित किया गया एवं पत्रावली वास्ते अंतिम बहस हेतु आगामी

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

पेशी दिनांक 11.12.2019 नियत की गई। उसके पश्चात पत्रावली में अंतिम बहस हेतु आगामी पेशी दिनांक 17.12.2019 नियत की गई। उसके पश्चात दिनांक 17.12.2019 से आगामी पेशी दिनांक 18.12.2019 नियत की गई। उसके पश्चात आगामी पेशी दिनांक 18.12.2019 को उभयपक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी जाकर प्रकरण में वास्ते आदेश दिनांक 24.12.2019 नियत की गई। उसके पश्चात दिनांक 24.12.2019 को प्रस्तुत मौका रिर्पोटो का अवलोकन करने के पश्चात धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है।

8. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार सांचौर से वादग्रस्त आराजी के संबध में मौका रिपोर्ट तलब की गई, जिस पर तहसीलदार सांचौर द्वारा दिनांक 27.01.2017 को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश क्रमांक/कोर्ट/2016/792 दिनांक 20.10.2016 की पालना मे मौका रिपोर्ट तैयार कर दिनांक 01.02.2017 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की, उक्त मौका रिपोर्ट में खातेदारी भूमि में आवागमन. का मार्ग एवं वैकल्पिक मार्ग का अभाव पाया गया तथा रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता सिद्व हुई है। इसके अतिरिक्त प्रस्तावित रास्ते पर किसी प्रकार का निर्माण व अवरोध नहीं होने का अंकन किया है। इसके पश्चात पुनः अधीनस्थ न्यायालय के आदेश क्रमांक/कोर्ट/2017/2690 दिनांक 11.12.2017 की पालना में तहसीलदार सांचौर द्वारा वादग्रस्त रास्ते के संबध में मौका रिपोर्ट तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 03.01.2018 को प्रस्तुत की गई, उक्त मौका रिपोर्ट के अन्तर्गत रेस्पोडेन्ट हरिराम के खेत मे आने जाने हेतु प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त कोई अन्य रास्ता नहीं होने का अंकन किया है। इस धारा में "absolute necessary" एवं "absence of alternative means of access is proved" ही वह कसौटी है, जिस पर खरा उतरने पर ही नये रास्ते को कायम के आदेश दिये जाना युक्तियुक्त एवं न्यायसम्मत होंगे। इसका तात्पर्य यह है कि खातेदारी में पहुंचने के लिये कही कोई रास्ता उपलब्ध न होना। धारा 251 ए सुविधाजनक रास्ते को कायम करने का प्रावधान नहीं करती है। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार सांचौर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अन्तर्गत रेस्पोडेन्ट हरिराम के खेत में आने–जाने हेतु कोई अन्य रास्ता उपलब्ध नहीं होने का अंकन है। जिससे उक्त प्रकरण में उक्त कसौटी पर पूर्णतया खरा उतरता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

9. रास्ते की समस्या मानव सृजित है। यह किसानो द्वारा उपजाई समस्या नहीं है। किसान सीधे–साधे होते है एवं कृषि कार्य से अपनी रोजी–रोटी कमाकर अपनी आजीविका चलाते है, किन्तु वर्तमान में समाज में जो प्रवृतियां उत्पन्न हो रही है उनकी दुष्टता का परिणाम है जिसके कारण दोनो पक्षो के किसान अनावश्यक मुकदमेबाजी में फंसे हुए है। एकमात्र व्यक्ति आसूराम पुत्र

धुकलाराम जाति विश्नोई निवासी हरियाली तहसील सांचौर जिला जालोर का निवासी है, जिसके कारण उक्त विवाद निरन्तर बना हुआ है। ऐसा व्यक्ति समाज में बुराई मात्र है, जिसके कारण इस समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है। भोले–भाले किसान अनावश्यक रूप से मानसिक एवं आर्थिक तौर पर प्रताडित हो रहे है साथ ही समाज में भी इनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है एवं समाज में इनकी प्रतिष्ठा भी कम हो रही है। इसके साथ ही उन्हे अपने कृषि कार्यो से महरूम होना पड रहा है, जिससे उनकी आजिविका चला पाना भी मुश्किल हो रहा है तथा कर्जे में डूब रहे है। समाज के ऐसे दुष्ट प्रवृति के लोगो को यदि कडी कानूनी कार्यवाही से हतोत्साहित किया जावे तो इस प्रकार की समस्याओ से छुटकारा मिल सकता है एवं समाज एवं गांव में किसानो के मध्य मुकदमेबाजी खत्म हो सकती है एवं शांति व्यवस्था स्थापित हो सकती है। इस संबध में ठोस व कठोर कदम उठाये जाने अनिवार्य है। उक्त व्यक्ति ऐसे कृत्य द्वारा कानून एवं न्यायपालिका का हनन कर रहा है। ऐसे कृत्यो से दोनो पक्षो के किसानो को न्याय नहीं मिल पा रहा है। उक्त व्यक्ति को असमाजिक गतिविधियो में लिप्त नहीं होने बाबत कानूनी कार्यवाही द्वारा पाबंद किया जाना न्यायोचित है। इस संबध में माननीय जिला कलक्टर जालोर एवं माननीय पुलिस अधीक्षक जालोर से आग्रह है कि इस व्यक्ति के विरूद्ध कडी कानूनी कार्यवाही की जावे, ताकि न्याय की व्यवस्था स्थापित हो सके।

10. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से यह भी स्पष्ट है कि अपीलांट बाबूराम द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रार्थना पत्र के दौरान प्रस्तावित रास्ते पर निर्माण कार्य करने पर उतारू था, जिससे यह भी स्पष्ट है कि अपीलांट जानबूझकर रेस्पोडेन्ट के खेत मे आवागमन वाले रास्ते पर अवरोध पैदा करना चाहता था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जरिये आदेश रूकवाया गया। उक्त समस्त तथ्यो से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि अपीलांट बाबूराम जानबूझकर रास्ता नहीं देना चाहता है एवं उक्त पक्षकार को कानून पर कोई विश्वास नहीं है।

11. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त मौका रिर्पोटो को ध्यान में रखते हुए धारा 251 ए के प्रावधानो की अनुपालना करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जिसमे हमे किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

12. परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा सहायक कलक्टर सांचौर द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 11/2016 बउनवान हरिराम बनाम बाबूराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 24.12.2019 को यथावत रखा जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

यह निर्णय आज दिनांक 19/1/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली